इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2013—ज्येष्ठ 17, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2013

क्र. एफ ए 3-19-2013-1-पांच (32).—यत:, राज्य सरकार यह समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में, निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में बिना पूर्व प्रकाशन के तत्काल किए जाएं;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 70 में, उपनियम (3) में, शब्द "जांच चौकी की मुद्रा लगाएगा" के स्थान पर, शब्द "जांच चौकी की मुद्रा लगाएगा, या कम्प्यूटर से तैयार किया गया ई-गेट पास जिसमें ऐसी विशिष्टयां होंगी, जैसी की आयुक्त द्वारा विनिश्चय की जाएं, जारी करेगा" स्थापित किए जाएं;

(2) प्ररूप 10 में, उपाबंधों की सूची में,—

(एक) शीर्ष (दो) में, अंक और शब्द "60 लाख" के स्थान पर, शब्द "एक करोड़", स्थापित किए जाएं;

(दो) उपाबंध-5 के पश्चात्, निम्नलिखित उपाबंध अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"उपाबंध 6 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन प्राप्त प्ररूपों की सूची

(व्यवसायी, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर के भुगतान हेतु दायी नहीं हैं द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

अनु. क्रमांक	'क्रेता व्यापारी/ एजेन्ट/ मालिक द्वारा जारी करने का दिनांक	प्ररूप सी*/ ई-1.../ एफ/एच /आई/1	पुस्तक क्रमांक एवं प्ररूप क्रमांक	'क्रेता/ एजेन्ट/ मालिक का नाम एवं पता	आदेश क्रमांक एवं दिनांक (यदि कोई हो)	माल का विवरण	माल का मूल्य	'विक्रेता का कैश मेमों*/ बिल/बीजक/ चालान का क्रमांक एवं दिनांक	'रेल्वे रिसीट/ बिल्टी का क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

*जो लागू न हो, उसे काट दें.".

(3) प्ररूप 49 में, शीर्षक "अन्य राज्य का पारेषिती" के अधीन शब्द "नाम तथा पता" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

नाम —
पूर्ण पता —
टिन (यदि कोई हो) —

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2013

क्र. एफ ए 3-19-2013-1(32).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-19-2013-1-पांच (32) दिनांक 7 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

Bhopal, the 7th June 2013

No. F-A-3-19-2013-1-V-(32).—WHEREAS, the State Government considers that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Gazette;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in rule 70, in sub-rule (3), for the words "mark it with seal of the check post", the words "mark it with seal of the check post, or issue an computer generated e-gate pass containing the particulars as may be decided by the Commissioner" shall be substituted;

(2) in Form 10, in the List of Annexures,—

(i) in the heading (ii), for the figure and word "60 lacs", the words "one crore" shall be substituted;

(ii) after Annexure 5, the following Annexure shall be inserted, namely :—

"Annexure 6: List of Forms received under the Central Sales Tax Act, 1956
(To be furnished by a dealer who is not liable to pay tax under the Central Sales Tax Act, 1956)

S. No.	Date of issue by the *purchasing dealer/ Agent/ Principal	Form*C E-1.../ F/H/I	Book No. and Form No.	Name and address of the *purchaser /Agent/ Principal	No. and date of order (if any)	Description of goods	value of goods	Seller's *Cash memo/ Bill/ Invoice/ Challan No. and date	No. and date of *bilty/ railway receipt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

* Strike out which is not applicable.";

(3) in Form 49, under the heading "The consignor of other state", for the words "Name and addres", the following words shall be substituted, namely :—

Name . . . .
Complete address. . . . .
TIN (if nay) . . . .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.